

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/210 / वि.कार्य/2017-18/ 1604-1605 दिनांक:- 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054


विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 13 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (150 प्रतियाँ) Delhi

DDE (PGMS)
Dir. of Education

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 13

दिनांक :- 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पवन कुमार शर्मा

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या निजी विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय में कक्षा से ड्राप-आउट हुए छात्रों की जगह नए छात्रों का नामांकन करते हैं;	ऐसी कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।
(ख) क्या ऐसे नामांकन को लेकर दिल्ली सरकार की कोई गाइड-लाइन है;	नियम 145, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अनुसार स्कूल के प्रधानाचार्य यह कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी के अंतर्गत तथा फ्रीशिप नियम के तहत भी ड्राप आउट छात्रों की जगह नये छात्रों का नामांकन करना चाहिये।
(ग) यदि हां, तो क्या इसका पूर्णतः पालन हो रहा है; और	इस संबंध में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।
(घ) क्या इसकी निगरानी कोई समिति या अधिकारी करता है; विवरण सहित उत्तर दें?	संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जोन एवं जिला) इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही करते हैं।


DDE (PGMS)
Dir. of Education
Govt. of NCT of Delhi